SUB - EDITOR

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2011

सा.का.नि. 208.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय, उप-सम्पादक भर्ती नियम, 1980 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं; अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम गृह मंत्रालय, उप-सम्पादक भर्ती (संशोधन) नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. गृह मंत्रालय, उप-सम्पादक भर्ती नियम, 1980 में अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-बैंड और ग्रेड पे/वेतनमान	चयन पद है अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु-सीमा	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा में जोड़े गए सेवा वर्षों का लाभ ग्राह्य है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उप-सम्पादक	01* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख', राजपत्रित अलिपिकवर्गीय	पे-बैंड 2, 9300—34800 रु. तथा ग्रेड पे 4600 रु.	लागू नहीं होता	अधिक से अधिक 35 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के मामले में शिथिलनीय) **टिप्पणी :**— भारत में स्थित उम्मीदवारों (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप स्थित उम्मीदवारों के अलावा) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख आयु का निर्धारण करने की निर्णायक तारीख होगी ।	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधे भर्ती के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीद-वारों पर भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
अनिवार्य : (i) डिग्री स्तर पर अंग्रेजी विषय सहित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में मास्टर डिग्री या डिग्री स्तर पर हिन्दी विषय सहित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या डिग्री स्तर पर अंग्रेजी विषय सहित हिन्दी माध्यम से किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री या डिग्री स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी विषयों सहित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री, (ii) संपादन और प्रकाशन कार्य का तीन वर्ष का अनुभव । **टिप्पणी सं. 1 :** अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर योग्यताओं में छूट दी जा सकती है ।	लागू नहीं होता	2 वर्ष

(8)

टिप्पणी सं. 2 : यदि चयन के किसी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का यह मत हो कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन जातियों में से अपेक्षित अनुभव वाले उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो संघ लोक सेवा आयोग के विवेक से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के मामले में अनुभव संबंधी योग्यता में छूट दी जा सकती है ।

वांछनीय :

(i) संस्कृत का ज्ञान ।

(ii) किसी एक आधुनिक भारतीय भाषा का ज्ञान ।

(iii) मूल लेख लिखने की योग्यता ।

भर्ती की विधि : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत

(11)

प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/स्थानांतरण द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है

(12)

प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/स्थानांतरण द्वारा :

केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :—

क (i) जो अपने मूल संवर्ग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने पी.बी.-2, 9300—34800 रुपए तथा ग्रेड पे 4200 रुपए या समकक्ष में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है; और

(ख) जिनके पास कॉलम 8 में उल्लिखित सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता और अनुभव हों ।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)

यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है ?

(13)

समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण करने पर विचार करने के लिए) विभागीय पदोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे :—

1. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग —अध्यक्ष
2. निदेशक/उप-सचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय —सदस्य
3. उप सचिव/अवर सचिव तरजीह तौर पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों में से —सदस्य
4. निदेशक/उप-सचिव, राजभाषा विभाग —सदस्य

टिप्पणी : किसी सीधी भर्ती वाले के स्थायीकरण से संबंधित विभागीय पदोन्नति समिति की कार्रवाई अनुमोदन के लिए आयोग के पास भेजी जाएगी और यदि आयोग उस कार्रवाई का अनुमोदन न करें तो संघ लोक

परिस्थितियाँ जिनमें संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है

(14)

सीधी भर्ती करते समय, किसी अधिकारी का स्थानान्तरण पर नियुक्ति के लिए चयन करते समय और इन नियमों के किसी उपबंध में संशोधन/छूट देते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।

(13)
सेवा आयोग के अध्यक्ष या उसके किसी एक सदस्य की अध्यक्षता में विभागीय पदोन्नति समिति की फिर से बैठक होगी ।

[फा. सं. ए-12018/01/2010-प्रशा.-V]

अरविन्द मुखर्जी, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2011

G.S.R. 208.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Home Affairs, Sub-Editor Recruitment Rules, 1980, namely :—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Sub-Editor Recruitment (Amendments) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Home Affairs, Sub-Editor Recruitment Rules, 1980, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether Selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefits of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sub-Editor	1* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	PB-2, Rs. 9300—34800 with the Grade Pay of Rs. 4600	Not applicable	Not exceeding 35 years (Relaxable for Government servants) **Note :**—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.)	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Essential :— (i) Master's Degree of a recognized University in Hindi with English as a subject at degree level. OR Master's Degree of a recognized University in English with Hindi as a subject at degree level.	Not applicable	2 years

2712 HA/11-3

(8)

OR

Master's Degree of a recognized University in any subject with Hindi medium and English as a subject at degree level.

OR

Master's Degree of a recognized University in any subject with Hindi and English as subjects at degree level.

(ii) 3 years' experience of editing and publication work.

Note No. 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates otherwise well qualified.

Note No. 2 : The qualifications regarding experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes. If at any stage of selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Desirable :—

(i) Knowledge of Sanskrit.

(ii) Knowledge of a modern Indian Language.

(iii) Ability to write original articles.

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(11)	(12)
By transfer on deputation/Transfer failing which by direct recruitment.	**By transfer on deputation/Transfer :** 1. Officers under the Central Government :— (a) (i) Holding analogous post on regular basis in their parent cadre; or (ii) With five years' regular service in PB-2, Rs. 9300—34800 with the Grade Pay of Rs. 4200 or equivalent; and (b) possessing the educational qualifications and experience laid down for direct recruits under column 8. (The Period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years.)

If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :— **The Departmental Promotion Committee will be as follows :—** 1. Joint Secretary, Deptt. of Official Language —Chairman 2. Director/Deputy Secretary (Admn.), MHA —Member	The Union Public Service Commission shall be consulted while making direct recruitment, selecting an officer for appointment on transfer and amending/relaxing any of the provision of these rules.

(13)
3. Deputy Secretary/Under Secretary preferably from Scheduled Caste or Scheduled Tribe —Member
4. Director/Deputy Secretary, Deptt. of Official Language —Member
Note : The proceeding of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the Commission for approval. If however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a member of Union Service Public Commission shall be held.

[F. No. A-12018/01/2010-Ad. V]

ARVIND MUKHERJEE, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2011

सा.का.नि. 209.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, वरिष्ठ पुस्तकालय सूचना सहायक समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 1993 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम गृह मंत्रालय, वरिष्ठ पुस्तकालय सूचना सहायक समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. गृह मंत्रालय, वरिष्ठ पुस्तकालय सूचना सहायक समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 1993 की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-बैंड, और ग्रेड पे/वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वरिष्ठ पुस्तकालय सूचना सहायक	04* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' (अराजपत्रित), अननुसचिवीय	पे-बैंड 2, 9300—34800 रु. तथा ग्रेड पे 4200 रु.	अचयन	28 वर्ष से अधिक नहीं । केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के साधारण प्रवर्ग कर्मचारियों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 45 वर्ष तक की जा सकती है । **टिप्पण :** आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी ।	नहीं